कार्यालय, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, बोकारो

विज्ञापन संख्या– 03/2021–22

प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण अंतर्गत प्रखण्ड स्तर पर गठित PMU Cell में संविदा आधारित नियुक्ति संबंधी सूचना :

ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची के अधिसूचना संख्या– 1016(अनु0) दिनांक 01.03.2017, पत्रांक–1192 दिनांक– 09.03.2017, पत्रांक–1193 दिनांक– 09.03.2017 एवं पत्रांक– 208 दिनांक 16.01.2020 के आलोक में प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण अंतर्गत बोकारो जिला में प्रखण्ड स्तर पर गठित Project Monitoring Unit(PMU) के विभिन्न रिक्त पदों के विरूद्ध संविदा आधारित नियुक्ति हेतु विभागीय पोर्टल **http://applyrdd.jharkhand.gov.in** के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन पत्र **दिनांक– 11.10.2021 से 23.10.2021** तक आमंत्रित किया जाता है, जिसकी कोटिवार पदवार रिक्तियों की संख्या एवं अहर्त्ता निम्नवत् है :–

- **प्रखण्ड स्तर पर :**

क्र0	पद का नाम	कोटिवार रिक्त पदों की संख्या				कुल रिक्त पदों की संख्या	उम्र सीमा	शैक्षणिक योग्यता
		अनारक्षित	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	अ0जा0	अ0ज0जा0			
1	2	3	4	5	6	7		8
1	प्रखण्ड समन्वयक (मासिक मानदेय– रु0 18,000/–)	02	00	01	00	03	22–45 वर्ष	मान्यता प्राप्त विश्वद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण एवं एक वर्ष का कार्यानुभव। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थानों से रूरल मैनेजमेंट/को–ऑपरेटिव मैनेजमेंट/सोशल वर्क में स्नातक उत्तीर्ण एवं एक वर्ष का कार्यानुभव।
2	लेखापाल–सह–कम्प्यूटर ऑपरेटर (मासिक मानदेय– रु0 10,000/–)	02	01	01	01	05	18–30 वर्ष	मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वद्यालय/संस्थानों से वाणिज्य(Commerce) विषय में इंटरमीडिएट उत्तीर्ण एवं Diploma in Computer Application(DCA) के साथ 06 माह का कार्यानुभव तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी टंकण दक्षता अनिवार्य।

- ❖ उपरोक्त कोटिवार रिक्तियों की संख्या भविष्य में घट–बढ़ सकती है।
- ❖ नियुक्ति में राज्य सरकार द्वारा जिला हेतु निर्गत आरक्षण नीति लागू मानी जायेगी।

- **नियुक्ति की प्रक्रिया व शर्तें :**

1. सभी अभ्यर्थियों को Online Recruitment Portal(**http://applyrdd.jharkhand.gov.in**) के माध्यम से ऑनलाईन आवदेन करना अनिवार्य होगा। इस हेतु विभागीय ज्ञापांक– 4894/ग्रा0वि0 दिनांक– 03.12.2018 के अनुसार कोई आवेदन शुल्क नहीं लिया जायेगा।

2. उपरोक्त पदों पर आवेदन समर्पित करने वाले अभ्यर्थियों को संबंधित क्षेत्र में कार्यानुभव प्रमाण पत्र के साथ वेतन पर्ची(Salary Slip) या Bank Statement ऑनलाईन में अपलोड करना अनिवार्य होगा।

3. यदि आवेदक एक से अधिक पद के लिए आवेदन देना चाहते हैं तो उन्हें पदवार अलग–अलग आवेदन समर्पित करना होगा।

4. **उम्र सीमा– उम्र की गणना दिनांक– 01.01.2021 के आधार पर की जायेगी।**

5. **आरक्षण–** अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्गों(OBC-I एवं OBC-II) के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षरण रोस्टर बोकारो जिला के तत्समय प्रवृत आदेशों के अनुसार निर्धारित किया जायेगा। अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण–पत्र ही मान्य होंगे।

6. स्थानीयता के संबंध में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा निर्गत संकल्प संख्या– 3198 दिनांक 18.04.2016 प्रभावी होगा एवं झारखण्ड का आवासीय प्रमाण–पत्र अनुमण्डल पदाधिकारी के स्तर से ही मान्य होगा।

7. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची के संकल्प ज्ञापांक– 7636 दिनांक– 12.10.2018 के अनुसार दिव्यांगजनों के लिए अधिकतम आयु सीमा निम्नवत् है:–

क्रम	कोटि	अधिकतम आयु सीमा
01	अनारक्षित	45 वर्ष
02	पिछड़ा/अत्यंत पिछड़ा वर्ग	47 वर्ष
03	महिला(अनारक्षित/पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग)	48 वर्ष
04	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (महिला एवं पुरूष)	50 वर्ष

8. सभी शैक्षणिक योग्यताएँ राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान यथा UGC/AICTE/DEB(Distance Education Bureau) का ही मान्य होगा।

9. नियुक्ति शैक्षणिक योग्यता(अनिवार्य एवं वांछनीय), अनुभव एवं दक्षता परीक्षा के अंकों के कुल प्राप्तांकों पर जिला स्तरीय चयन समिति की अनुशंसा के आलोक में की जायेगी।

10. जिन अभ्यर्थियों का शैक्षणिक प्रमाण पत्र में ग्रेड अंकित हो तो उन अभ्यर्थी को अपने संबंधित विश्वविद्यालय/संस्थान से प्रतिशत में अंतरण कराकर प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

11. प्रखण्ड स्तर पर प्रखण्ड समन्वयक के पद के लिए उम्मीदवारों में रूरल मैनेजमेंट/को–ऑपरेटिव मैनेजमेंट/सोशल वर्क में स्नातक उत्तीर्ण/PGDRD/MARD को प्रथमिकता दी जायेगी।

12. आवेदन पत्र के साथ मैट्रिक का प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा। आयु सीमा की गणना मैट्रिक के प्रमाण पत्र के आधार पर होगी।

13. प्राप्त आवेदन पत्रों के आलोक में प्रारंभिक मेधा सूची अनिवार्य/वांछनीय शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव(जहाँ आवश्यक हो) के प्राप्तांक के आधार पर तैयार की जायेगी।

14. सभी श्रेणी के पदों के अभ्यर्थियों को दक्षता परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जायेगा।

15. दक्षता परीक्षा में कम्प्यूटर ज्ञान हेतु टेस्ट देना अनिवार्य होगा। कम्प्यूटर ज्ञान हेतु चयन समिति कम्प्यूटर टंकण की परीक्षा ले सकती है।

16. कम्प्यूटर परीक्षा में उत्तीर्णता का स्तर 40 प्रतिशत रहेगा यानि 10 में से 04 अंक लाना अनिवार्य होगा।

17. चयन की पात्रता हेतु कुल निर्धारित 100 अंकों में से सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों को न्यूनतम 50 अंक, अनु0जाति/अनु0ज0जा0 के उम्मीदवारों को न्यूनतम 40 अंक तथा पिछड़ा/अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 45 अंक लाना अनिवार्य होगा। इससे कम अंक लाने पर नियुक्ति हेतु अयोग्य माने जायेंगे।

18. अंतिम मेधा सूची में पदवार रिक्ति का दोगुना नाम पैनल के रूप में रहेगा जो अधिकतम एक वर्ष के लिए वैध रहेगा। उपरोक्त पदों में एक साल के अंदर होने वाले रिक्ति इसी से भरे जायेंगे।

19. दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के अंतिम मेधा सूची में टाई(Tie) की स्थिति में उम्र में वरीय को प्राथमिकता दी जायेगी। यदि उम्र बराबर हो तो स्थानीयता को प्राथमिकता दी जायेगी तथा यदि सभी के स्थानीयता में समानता होने की दशा में लौटरी के माध्यम से चयन किया जायेगा।

20. प्रारंभिक चरण में संविदा के आधार पर ऐसी नियुक्ति एक वर्ष के लिए की जायेगी। प्रत्येक वर्ष उनके कार्यों का समिति के द्वारा मूल्यांकन किया जायेगा एवं मूल्यांकन में प्रगति संतोषजनक नहीं पाये जाने पर सेवा से हटाने पर विचार किया जायेगा। नवीकरण नहीं होने की स्थिति में ऐसी नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जायेगी।

21. विज्ञापन में किसी कारणवश आंशिक संशोधन या पूर्णतः रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।

22. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में निर्णय लेने का अधिकार जिला स्तरीय चयन समिति का होगा और इसके विरूद्ध किसी भी न्यायालय में वाद दायर नहीं की जा सकेगी।

23. अहर्त्ता के अनुरूप आवेदक से ऑनलाईन आवेदन में मांगी गयी सभी विवरणी को पूर्ण रूपेण भरा जाना अनिवार्य है। यदि अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन भरे गये गलत सूचना पर संबंधित अभ्यर्थी का आवेदन स्वतः रद्द समझा जायेगा।

08.10.2021

उप विकास आयुक्त
बोकारो